(46)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

[illegible]

[illegible] जोधपुर 342003

फोन नं 0291 2742232 फैक्स नं 0291 5106031

ईमेल caoar@yahoo.com / caobrju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

क्रमांक जोविविनिलि/मु.ले.नि./ मु.ले.अ (व. एवं रा.)/शा. राजस्व/पी. 1322 दिनांक 18/10/2018

"परिपत्र" 190

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्र प 7(22) ऊर्जा/2016 दिनांक 05.10.2018 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियमित टैरिफ सब्सिडी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं (Block supply-Rural) द्वारा अपने स्तर पर वहन की जाने वाली विद्युत बिलों की राशि का पुनर्भरण (अधिकतम 10000/-रुपये प्रतिवर्ष) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन करने के दिशा निर्देश जारी किये गए हैं ।

इस योजना को लागू करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 01 दिनांक 11.10.18 कैम्प जयपुर के द्वारा फील्ड अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके है ।

उपर्युक्त आदेश की निरंतरता में सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पालनार्थ निम्नलिखित अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं-

1. इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ब' में फीडर इंचार्ज/लाइनमैन द्वारा लाई गई सूचना को सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी Login-ID से बिलिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा ।

2. बिलिंग एजेन्सी द्वारा इस संबंध में बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जायेगा एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि Login-ID एक बार Login करने के बाद 30 मिनट की अवधि तक वैध/परिचालित रहे एवं Single Entry Approval के स्थान पर Bulk Entry Approval हो।

3. रिमार्क कॉलम में कोड संख्या 1 या 2 से मुक्त सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अपने स्तर पर वहन की जाने वाली विद्युत बिलों की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के अंतर्गत अपने स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु बिलिंग एजेंसी द्वारा लाभार्थियों से संबंधित वांछित एवं फीडर इंचार्ज द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना DOIT को अपने स्तर पर Online प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चिम की जाएगी ।

4. जिन उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना के रिमार्क कॉलम में कोड 1 या 2 दर्ज किया गया है, ऐसे सभी कृषि उपभोक्ताओं को बिलिंग माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2018 में जारी बिल राशि में सब्सिडी का पुनर्भरण उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) योजना के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, अपितु बिलों में ही समायोजित कर दिया जाएगा । बिलिंग एजेन्सी बिल प्रारुप के क्रमांक 23 (ii) पर 'सरकार द्वारा वहन राशि-अन्य सब्सिडी' के सम्मुख उक्त योजना से संबंधित समायोजित राशि पृथक रुप से निम्न प्रारुपानुसार प्रदर्शित की जायेगी-

23	राज्य सरकार द्वारा वहन राशि	(i) टैरिफ सब्सिडी (ii) ओलावृष्टि/अन्य सब्सिडी	- -

ऐसे पात्र कृषि उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा देय अनुदान राशि (DBT योजना के अंतर्गत अनुदान राशि को सम्मलित करते हुए) उनकी बिल राशि में सं समायोजित करते हुए भुगतान हेतु देय राशि का बिल जारी किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

5. बिलिंग एजेन्सी, यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र कृषि उपभोक्ताओं को DBT के अंतर्गत अनुदान राशि का उनके बैंक खातों में हस्तांतरण अथवा बिलों में समायोजन (कोड 1 या 2 की स्थिति में) किसी भी प्रकार की बकाया राशि नहीं होने की स्थिति में ही किया जायेगा एवं इसके साथ–साथ इस योजना के अंतर्गत आनुपातिक आधार पर कृषि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा किये गये भुगतान के विरुद्ध अधिकतम 833/– रुपये प्रतिमाह (अधिकतम राशि रुपये 10000/– प्रतिवर्ष) का हस्तान्तरण या समायोजन ही किया जायेगा ।

6. बिलिंग एजेन्सी, ऊर्जा विभाग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र की शर्त संख्या 4,5, एवं 6 की पालना सुनिश्चित करेगी ।

7. पात्र कृषि उपभोक्ताओं के DBT अंतर्गत पुनर्भरण राशि के समायोजन हेतु नया कोड 85 आवंटित किया गया है ।

8. बिलिंग एजेन्सी द्वारा MIS-3.2 के JV में पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिलों में समायोजन के द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि की अतिरिक्त प्रविष्टि की जायेगी–

Amount receivable from Govt.- (AG bill reimbursable under DBT) To Sundry Debtors	Accounting code 28.638	Dr. Rs. ___________ Rs. ___________

मुख्य लेखा नियंत्रक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान् मुख्य लेखा नियंत्रक, जो.वि.वि.नि.लि, जोधपुर ।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर जोन, जो.वि.वि.नि.लि जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर ।
3. श्रीमान् वरिष्ठ लेखाधिकारी____________, जो.वि.वि.नि.लि____________ ।
4. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता____________, जो.वि.वि.नि.लि____________ ।
5. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (आई. टी), जो.वि.वि.नि.लि, जोधपुर को बिलिंग सिस्टम में आवश्यक क्रियान्वन हेतु निर्देशित किया जाता है तथा उक्त आदेश को संलग्नों सहित निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।
6. श्रीमान् लेखाधिकारी(   )____________, जो.वि.वि.नि.लि________ ।
7. निजी सहायक प्रबन्ध निदेशक, जो.वि.वि.नि.लि, जोधपुर ।
8. मै., HCLI, Camp office, New Power House, Jodhpur.

मुख्य लेखा नियंत्रक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

Scanned by CamScanner